आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक 15 DEC 2022

आदेश

कई नगर निकायों द्वारा कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों में आन्तरिक विकास शुल्क लेने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा जा रहा है।

अतः सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों में निम्न प्रकार कार्यवाही की जावें :–

1. दिनांक 31.03.19 से पूर्व कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होकर बसी हुई कालोनियां जिनके ले–आउट प्लान पूर्व में स्वीकृत किये गये हैं या अब स्वीकृत किये जाने हैं, उनमें आन्तरिक विकास शुल्क देय नहीं होगा।
   नोटः– पूर्व में जिन प्रकरणों में आन्तरिक विकास शुल्क लेकर पट्टे दिये जा चुके हैं, ऐसे प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा।
2. कृषि भूमि की कॉलोनीयों के स्वीकृत ले–आउट प्लान में सुविधा क्षेत्रों में (सडक व पार्क को छोडकर) धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है। सुविधा क्षेत्र में धार्मिक स्थल भी अनुज्ञेय हैं। अतः सुविधा क्षेत्र में धार्मिक स्थल का पट्टा नियमानुसार दिया जा सकेगा।
3. कृषि आधारित उद्योग, वेयर हाउसिंग आदि हेतु कृषि भूमि का क्रय कर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कराकर मूल खसरा नम्बर के बटा नम्बरों के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, वेयर हाउसिंग आदि हेतु प्रत्येक भूखण्ड का अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पट्टा लेने का आवेदन किया जाता है तो, 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र की राशि एवं अलग–अलग भूखण्डों के मध्य की सड़क निर्माण की लागत स्थानीय निकाय द्वारा समानुपात से बाह्य विकास शुल्क के साथ वसूल करके एकल पट्टे जारी किये जा सकेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन सचिव

(कृष्ण कलमणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
11. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

CamScanner